

Act No. 37 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 10

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन
संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन
विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और
विनियमन संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और
विनियमन अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने
के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन अधिनियम, 2013 है।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह 19 जून, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 41 का
संशोधन।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

श्री. श्री. श्री. (टी. आर. डी. ए. ए.)

अध्यक्ष।

असम


हिमाचल प्रदेश

विधान सभा, शिमला

शिमला-171004.

दिनांक 30-04-2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ।



राजेंद्रपाल
राज्यपाल।
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002.

दिनांक : 28-4-2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2013

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY
ESTABLISHMENT AND REGULATION
AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY
ESTABLISHMENT AND REGULATION AMENDMENT BILL, 2013**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA
UNIVERSITY ESTABLISHMENT AND REGULATION
AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University
Establishment and Regulation Act, 2012 (Act No. 20 of 2013).*


BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Amendment Act, 2013. Short title
and
commencement.


(2) It shall be deemed to have come into force on 19th day of June,
2012.

2. In section 41 of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012, in sub-section (2), in the proviso, for the words “twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted. Amendment
of section
41.

में, ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 10) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।


राजपाल
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 10) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।


चिरंजीव सिंह
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।